तारीख हुक्म	BSW-0 15/15 हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री लसिया पं.स. सरपंच ग्रा.प. सिंगपुर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसे हुक्म की तामील में जारी हुए
30/05/18	वकील अपीलान्ट अनुपस्थित। रा.अ. उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा यह अपील जिला कलक्टर बाँसवाड़ा द्वारा दिनांक 9.5.13 से ग्राम नादिया का आ.न. 162, 166 कुल किता 2 रकबा 26 बीघा 13 बिस्वा मे से क्रमश 5 बीघा एवं एक बीघा कुल 6 बीघा भूमि का राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित किये जाने के आदेश के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय मे दिनांक 19.6.15 को पेश की गई है भूमिया स्पष्ट रूप से राजस्व रेकार्ड मे "बिलानाम सरकार" दर्ज है अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय मे पक्षकार नही था। उसने उक्त भूमियों पर अतिक्रमी के रूप मे काबिज होने के कारण अपीलाधीन आदेश को त्रुटिपूर्ण बताया है। अधिनस्थ न्यायालय मे यदि कोई पक्षकार नही हो तो उसे धारा 96 जाबता दिवानी के आवश्यक प्रावधानों के तहत अपीलीय न्यायालय से अनुमति लेकर अपील प्रस्तुत करनी चाहिये। इस प्रकरण मे अपीलान्ट द्वारा धारा 96 जाबता दिवानी का कोई आवेदन प्रस्तुत नही किया है अतएवं यह अपील धारा 96 जाबता दिवानी के प्रावधानों की अनुपालना नही किये जाने के कारण विधिक रूप से पोषणीय नही होने से	

(5)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	BSW-0-15/15 श्री लालसिंह V/S सरपंच ग्रा. प. सिंघपुर	
	खारिज किये जाने योग्य है। प्रकरण में यदि विवाद को कण्डोन भी किया जाये तो भी गुणावगुण आधार पर राजकीय भूमि पर अतिक्रमी का कोई "लोकसस्टेण्डाई" नहीं होता तथा अधीनस्थ न्यायालय मे स्पष्ट अंकन है कि वर्ष 2012 में ही अतिक्रमियों का अतिक्रमण हटा दिया गया है तथा अपीलान्ट द्वारा वर्ष 2012 के पश्चात् के कोई अतिक्रमण के साक्ष्य भी प्रस्तुत नही किये है। उपरोक्तानुसार सम्पूर्ण रूप से अपील अपीलान्ट दफा 96 जाब्ता दिवानी के प्रावधानो की अनुपालना नही किये जाने तथा गुणावगुण आधार पर भी पोषणीय नही होने से खारीज की जाती है। बाद दाखले पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। Sd/- भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)	